वित्तीय स्वीकृति

संख्या-2522/52-3-2016-बजट(9)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2017

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आ□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2256/□0□0□0□□0/□□0 □ □0□□0/2016, दिनांक 5.9.21016 □□ संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(6) में दी गयी व्यवस्थानुसार तथा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश सं0-2855/ 52-3-14-□□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 57,68,88,000/- (सत्तावन करोड़ अठसठ लाख अठ्ासी हजार मात्र) के सापेक्ष □□□□□ □0-1124/52-3-16-□□□(9)/16, दिनांक 07.04.2016 द्वारा प्रथम किश्त रू0 28,84,44,000/- की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रू0 28,84,44,000/- (रू0 अठ्ाइस करोड़ चैरासी लाख चवालिस हजार माः) द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहमति, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि का भुगतान की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 30.03.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

2. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख -48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) में व्यवस्थित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-□0-11-85/□□-16, दिनांक 06 फरवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-2522(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□□

3- मुख्य कोषाधिकारी, केस□□□□, □□□□□

4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

5- रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

7- गार्ड फाइल□□

आज्ञा से,

(दीनानाथ)

1- □□ □□□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

□□ स□च□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।